अध्याय IV

उपकर का निर्धारण, संग्रहण और हस्तांतरण

4.1 उपकर का निर्धारण और अधिरोपण

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने नियोजकों द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर लगाने और संग्रहण का प्रावधान करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित (अगस्त 1996) किया। उपकर अधिनियम को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम) अधिसूचित (मार्च 1998) किए।

भारत सरकार ने नियोजकों द्वारा वहन की गई निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाने की अधिसूचना (सितम्बर 1996) जारी की। राजस्थान सरकार ने जुलाई 2009 में राजस्थान में उपकर नियम, 1998 को अपनाया जिसके तहत नियोजक द्वारा किए गए निर्माण की कुल लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाये जाने का प्रावधान रखा गया।

उपकर के तीन स्रोत हैं: (i) सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निर्माण कार्य करते समय ठेकेदार के बिलों से स्रोत पर उपकर की कटौती के लिए जिम्मेदार होते हैं; (ii) स्थानीय निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत भवन योजनाओं के अनुमोदन के समय अनुमानित निर्माण लागत के प्रतिशतता के रूप में अग्रिम उपकर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी हैं और (iii) श्रम विभाग द्वारा किये गए निर्धारण के आधार पर उपकर का संग्रहण किया जाता है।

उपकर नियमों के नियम 5(3) के अनुसार, श्रम विभाग द्वारा स्थापनों से संग्रहित उपकर की राशि को संग्रहण के 30 दिनों के भीतर मण्डल की निधि में हस्तांतरित करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में उपकर संग्रहकों द्वारा एकत्र किए गए उपकर को पहले राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष (0230-800-06) में जमा किया गया और फिर राज्य सरकार द्वारा आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में हस्तांतरित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, ₹ 2,002.43 करोड़ का उपकर संग्रहित किया गया था, और ₹ 1,788.99 करोड़ का उपकर तीन से 22 महीने की देरी के साथ बोर्ड को हस्तांतरित किया गया था। राजस्व शीर्ष में संग्रहित और आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में जमा किए गए उपकर की वर्षवार राशि नीचे **तालिका 4.1** में दी गई है:

तालिका 4.1: राजस्व शीर्ष में संग्रहित उपकर की राशि और आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में जमा की गई राशि का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व मद में एकत्रित उपकर	आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि को हस्तांतरित उपकर
2017-18	338.60	342.69
2018-19	382.59	338.60
2019-20	412.82	382.59
2020-21	367.55	357.56[1]
2021-22	500.87	367.55

स्रोत: मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार।

राजस्थान सरकार ने अवगत (दिसंबर 2023) कराया कि एक वर्ष में संग्रहित उपकर को राजस्थान सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जुलाई 2023 से मासिक आधार पर एकत्रित उपकर का हस्तांतरण किया जाना वित्त विभाग के पास विचाराधीन है।

उपकर के निर्धारण और अधिरोपण में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

4.1.1 उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी स्थापनों की पहचान करने हेतु सर्वेक्षण में कमी

श्रम विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी (मार्च 2019) की जिसमें अधिनियम के दायरे में आने वाले स्थापनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक श्रम निरीक्षक को अपने क्षेत्राधिकार में प्रति माह 50 निर्माण कार्यों का सर्वेक्षण कर संबंधित निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था, जो यदि उपकर देय हो तो उसे जमा करने के लिए नियोजक को, नोटिस जारी करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरबीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 के लागू करने के दस वर्ष बाद मार्च 2019 में लक्ष्य निर्धारित किए गये थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-22 के दौरान, 1,74,000 सर्वेक्षणों के लक्ष्य के विपरीत राज्य स्तर पर केवल 60,590 (34.82 प्रतिशत) सर्वेक्षण किए गए थे। चयनित पांच जिलों में, 49,100 सर्वेक्षणों के लक्ष्य के विरुद्ध 12,552 (25.56 प्रतिशत) सर्वेक्षण किए गए थे (***परिशिष्ट 4.1***)।

राजस्थान सरकार ने अवगत (मार्च 2024) कराया कि सर्वेक्षणों में कमी का कारण कोविड महामारी और विभाग में श्रम निरीक्षकों की कमी थी।

[1] कोविड-19 महामारी के दौरान बीओसी श्रमिकों पर व्यय किये जाने के लिए संग्रहित ₹ 412.82 करोड़ में से ₹ 55.26 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा का मत है कि भविष्य में लक्ष्यों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

4.1.2 निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाना

(i) कार्य निष्पादन विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाना

उपकर नियमों की अनुपालना में, उप श्रम आयुक्त/अन्य श्रम अधिकारियों को 'उपकर संग्राहक' और 'निर्धारण अधिकारी' के रूप में नियुक्त (जुलाई 2009) किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों और कार्य निष्पादन विभागों के अधिकारियों को भी 'उपकर संग्राहक' और 'निर्धारण अधिकारी' के रूप में नियुक्त (जनवरी 2015) किया गया था।

इसके अतिरिक्त, उपकर नियमों के नियम 6(1) के अनुसार, प्रत्येक नियोजक कार्य प्रारम्भ करने के 30 दिनों के भीतर निर्धारण अधिकारी को फॉर्म-I में सूचना प्रस्तुत करेगा। निर्धारण अधिकारी को, ऐसी सूचना की संवीक्षा करने के पश्चात्, छह माह के भीतर उपकर निर्धारण आदेश जारी करना आवश्यक है। उपकर निर्धारण आदेश में देय उपकर की राशि, नियोजक द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका उपकर अथवा स्रोत पर काटा गया उपकर तथा देय शेष राशि तथा उपकर का भुगतान किए जाने की दिनांक विनिर्दिष्ट होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्थानीय निकायों और कार्य निष्पादन विभागों के अधिकारी, भवन योजनाओं की स्वीकृति देते समय अग्रिम उपकर संग्रहित करके या ठेकेदारों को किए गए भुगतान से उपकर काटकर, केवल उपकर संग्राहक का कर्तव्य निभा रहे थे, परन्तु, जाँच हेतु चयनित किये गये पांच जिलों में देय उपकर की वसूली सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017-22 के दौरान, उनके द्वारा कोई अंतिम निर्धारण आदेश जारी नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने सभी निर्धारण अधिकारियों के साथ प्रमुख शासन सचिव, श्रम विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित (जनवरी 2024) की और उन्हें अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाताओं से उपकर का निर्धारण कर श्रम विभाग के साथ जानकारी साझा करने हेतु निर्देशित किया।

(ii) श्रम विभाग द्वारा उपकर निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जाँच हेतु चयनित किये गये पांच जिलों में लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान श्रम विभाग द्वारा निर्माण की अन्तिम लागत का निर्धारण करने के बाद कुल पंजीकृत 1,153 स्थापनों में से केवल 49 स्थापनों[2] (पांच प्रतिशत) को ही निर्धारण आदेश जारी किए गए थे।

[2] जोधपुर में 02 और कोटा में 47।

राजस्थान सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में अवगत (मार्च 2024) कराया कि 386 स्थापनों (1,153 में से) के निर्धारण आदेश जारी किए जा चुके हैं और निर्धारण अधिकारियों को शेष मामलों में निर्धारण आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

4.1.3 उपकर निर्धारण के लिए निर्माण लागत की गणना हेतु तंत्र

उपकर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ने निर्माण लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के एक प्रतिशत के रूप में उपकर की दर अधिसूचित (जुलाई 2010) की थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्माण की लागत की गणना के लिए, श्रम विभाग ने विभिन्न प्रकार के भवनों (वाणिज्यिक, आवासीय, शॉपिंग मॉल आदि) के प्रति वर्ग फुट पर लागू होने वाली न्यूनतम दर निर्धारित (सितंबर 2016) की थी। प्रत्येक प्रकार के भवनों को आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था: "ए, बी या सी" अर्थात निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर बेहतरीन, मध्यम और सामान्य निर्माण। निर्माण की लागत की न्यूनतम दर भवन की श्रेणी (ए, बी, सी) के अनुसार तय की जानी थी और इसके लिए विभिन्न मानदंडों के आधार पर निर्माण की श्रेणी[3] निर्धारित करने के लिए एक चेक लिस्ट विकसित की गई थी। यह चेक लिस्ट स्थापनों द्वारा भरी जानी थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि भरी हुई चेक लिस्ट से ए, बी और सी श्रेणी में भवन के वर्गीकरण के लिए श्रम विभाग ने कोई विस्तृत गणना विधि निर्धारित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए पांच जिलों में चयनित 157 निर्धारण आदेशों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी मामलों में निर्माण करने वाली संस्था द्वारा चेक लिस्ट नहीं भरी गई थी।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में अवगत (नवंबर 2023) कराया कि एक समिति का गठन (सितंबर 2009) किया गया था, जिसने भवन और उसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री के उपयोग के आधार पर निर्माण कार्यों को तीन श्रेणियों (ए, बी और सी) में वर्गीकृत करके निर्माण लागत निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीके निर्धारित किए थे।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को दोहराया और निर्माण की लागत की अनुमानित दर निर्धारित करने हेतु भवनों की श्रेणी का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मौजूदा विधि में विशिष्ट मानदंडों की कमी के संबंध में विशिष्ट उत्तर नहीं दिया। यह निर्माण लागत की गणना और उपकर के निर्धारण में पक्षपात को इंगित करता है।

4.2 उपकर का संग्रहण

4.2.1 उपकर की वसूली न होना

(i) श्रम विभाग द्वारा उपकर की वसूली नहीं किया जाना

उपकर नियमों के नियम 4(1) के अनुसार, निर्धारण आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर उपकर संग्रहित किया जाना चाहिए, इसमें विफल होने पर, नियोजक बकाया राशि पर प्रत्येक

[3] लिफ्टों की संख्या, इस्तेमाल की गई लकड़ी का विवरण, एसी सिस्टम, बेसमेंट, सैनिटरी फिक्स्चर और उपयोग किया गया पत्थर।

विलंबित माह के लिए दो प्रतिशत की दर से ब्याज (बीओसीडब्ल्यू उपकर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, उपकर नियमों के नियम 13 के अनुसार, नियोजक से देय किसी भी राशि के लिए मण्डल सचिव, जिला कलेक्टरों को इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप मे वसूली करने के निर्देश देंगे।

चयनित 157 उपकर निर्धारण पत्रावलियों, जिनमें श्रम विभाग द्वारा निर्धारण आदेश जारी किए गए थे, की संवीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 तक 75 (48 प्रतिशत) प्रकरणों में ₹ 2.87 करोड़ की राशि का उपकर वसूल नहीं किया गया था। असंग्रहित उपकर पर ₹ 2.52 करोड़[4] के ब्याज का भुगतान करने के लिए नियोजक उत्तरदायी थे। इस प्रकार, कुल ₹ 5.39 करोड़ असंग्रहित रहे। इसके अतिरिक्त, मार्च 2024 तक 75 में से केवल 27 प्रकरणों[5] (36 प्रतिशत) को वसूली के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को भेजा गया था।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में अवगत (मार्च 2024) कराया कि शेष प्रकरणों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही थी।

(ii) कार्य निष्पादन विभागों द्वारा उपकर की वसूली नहीं किया जाना

उपकर नियमों के नियम 4(3) के अनुसार, जहां उपकर का उद्ग्रहण किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित है, वहां ऐसी सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किए गए बिलों से अधिसूचित दरों (एक प्रतिशत) पर संदेय उपकर की कटौती करेगा अथवा करवाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान, कार्य निष्पादन विभागों द्वारा निष्पादित किए गए चयनित 44 निर्माण कार्यों में से 30 निर्माण कार्यों में देय उपकर काटा गया था। राशि ₹ 1,103.62 करोड़ मूल्य के शेष 14 कार्यों में, एक प्रतिशत की दर से राशि ₹ 11.04 करोड़ रुपए का उपकर लगाया जाना था, तथापि, ठेकेदारों को अंतिम भुगतान करते समय राशि ₹ 1.23 करोड़[6] का उपकर वसूल नहीं किया गया था। इस प्रकार, कार्य निष्पादन विभागों द्वारा देय उपकर की वसूली नहीं की गई थी।

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर और श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर ने यह स्पष्ट किया (मई और मार्च 2023) कि निर्माण कार्य करने वाले विभागों की जिम्मेदारी है कि वे देय उपकर की कटौती करें तथा श्रम कल्याण अधिकारी, जोधपुर (मई 2023) ने बताया कि संबंधित निष्पादन विभाग को देय उपकर की कटौती करने और जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

---

[4] धौलपुर- ₹ 0.01 करोड़, जयपुर- ₹ 1.12 करोड़, जोधपुर- ₹ 0.57 करोड़, करौली- ₹ 0.13 करोड़ और कोटा- ₹ 0.69 करोड़।

[5] जोधपुर-2 प्रकरण और कोटा- 25 प्रकरण।

[6] धौलपुर- दो कार्यों में ₹ 0.37 करोड़, जयपुर- पांच कार्यों में ₹ 0.12 करोड़, जोधपुर- पांच कार्यों में ₹ 0.71 करोड़ और करौली- दो कार्यों में ₹ 0.03 करोड़।

4.2.2 नियोजन प्राधिकरणों द्वारा उपकर का संग्रहण न किया जाना

उपकर नियमों के नियम 4(4) के अनुसार, स्थानीय निकाय अधिसूचित दरों पर निर्माण की अनुमानित लागत पर उपकर की कटौती करेगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार के श्रम विभाग ने अपनी बैठक (सितंबर 2016) में अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बीओसी श्रमिकों के प्रतिनिधियों, बीओसी कार्यों से जुड़े सरकारी विभागों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें ताकि बीओसी श्रमिकों, स्थापनों का पंजीकरण और उपकर का संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके।

(i) लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय (नियोजन प्राधिकरणों) द्वारा अनुमोदित 78 भवन योजनाओं का चयन किया गया, इन 78 भवन योजनाओं में से 70 भवन योजनाओं[7] में अग्रिम उपकर संग्रहित किया जाना अपेक्षित था। यद्यपि, यह पाया गया कि 16 भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय राशि ₹ 8.34 लाख[8] का अग्रिम उपकर संग्रहित नहीं किया गया था।

(ii) उपकर नियमों के नियम 4(4) में प्रावधान है कि स्थानीय निकायों को किसी निर्माण कार्य का अनुमोदन करते समय निर्माण की अनुमानित लागत के आधार पर अग्रिम उपकर संग्रहित करना होगा। यदि परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, तो प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष के दौरान अनुमानित निर्माण की लागत पर देय उपकर संग्रहित किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए देय उपकर का उसी प्रकार भुगतान लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने रेरा (रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध) पर पंजीकृत चयनित 40 परियोजनाओं से संबंधित जानकारी (निर्माण की लागत) और श्रम विभाग के पास जमा उपकर की राशि का विश्लेषण किया और यह पाया कि 17 परियोजनाओं में, मार्च 2022 तक ₹ 4.82 करोड़[9] (ब्याज सहित) की राशि का उपकर जमा नहीं किया गया था।

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर एवं कोटा और श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर ने अवगत कराया कि सर्वेक्षण के बाद देय उपकर राशि की वसूली कर ली जायेगी।

यह स्थिति दर्शाती है कि श्रम विभाग ने उपकर संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए रेरा के पास सुलभ रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग नहीं किया।

---

[7] चयनित 78 भवन योजनाओं में से ₹ 10 लाख से कम मूल्य की आठ आवासीय भवन योजनाएं थी। इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों अनुसार इनसे अग्रिम उपकर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं थी।

[8] एक मामले में उपकर ₹ 6.16 लाख (यूएलबी द्वारा प्रदान की गई सूचना से) और शेष 15 मामलों में, ₹ 2.18 लाख (अनुमानित निर्माण लागत के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित, जिसका निर्धारण श्रम विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्माण की न्यूनतम लागू दर को निर्माण के निर्मित क्षेत्र जिसकी अनुमति दी गई थी, के साथ गुणा करके किया गया)।

[9] धौलपुरः पांच परियोजनाओं में ₹ 0.38 करोड़, जयपुरः एक परियोजना में ₹ 0.17 करोड़, कोटाः 11 परियोजनाओं में ₹ 4.27 करोड़।

4.2.3 चेक के माध्यम से उपकर संग्रहण

उपकर नियमों के नियम 4 में यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड को देय उपकर/अग्रिम उपकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाया जाएगा।

हालांकि, श्रम विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान चेक के माध्यम से अग्रिम उपकर प्राप्त किया गया। यद्यपि, यह भी पाया गया कि भुगतान के लिए ₹ 11.36 करोड़[10] की राशि के 126 चेक अनादरित हुए।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, श्रम विभाग ने अवगत (जुलाई 2023) कराया कि ₹ 2.28 करोड़ वसूल किए गए हैं लेकिन ₹ 9.08 करोड़[11] वसूल किया जाना शेष है। शेष उपकर की वसूली के लिए संबंधित स्थापनों को नोटिस जारी किए गए हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि श्रम विभाग को चेक के अनादरण के मामलों से बचने के लिए उपकर नियमों के नियम 4 की अनुपालना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

4.3 उपकर का हस्तांतरण

4.3.1 मण्डल की कल्याण निधि में उपकर का प्रेषण

उपकर नियमों के नियम 5(3) के अनुसार श्रम विभाग द्वारा स्थापनों से संग्रहित उपकर की राशि को संग्रहण के 30 दिनों के भीतर मण्डल निधि में हस्तांतरित करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में उपकर संग्राहकों द्वारा एकत्र किए गए उपकर को पहले राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष (0230-800-06) में जमा किया गया था और फिर आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में हस्तांतरित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित की गई भवन योजनाओं में चयनित 78 में से 47 भवन योजनाओं के अनुमोदन के दौरान संग्रहित ₹14.43 लाख का अग्रिम उपकर[12], राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किया गया था और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के पास पड़ा हुआ था।

---

[10] 2017-18: ₹ 4.15 करोड़, 2018-19: ₹ 4.44 करोड़, 2019-20: ₹ 1.96 करोड़, 2020-21: ₹ 0.75 करोड़ एवं 2021-22: ₹ 0.06 करोड़।

[11] 2017-18: ₹ 3.22 करोड़, 2018-19: ₹ 3.72 करोड़, 2019-20: ₹ 1.80 करोड़ एवं 2020-21: ₹ 0.34 करोड़।

[12] लेखापरीक्षा ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित 78 भवन योजनाओं का चयन किया। इन 78 प्रकरणों में से, 70 मामलों में अग्रिम उपकर जमा करना था। इन 70 प्रकरणों में से, 16 प्रकरणों में ₹ 8.34 लाख का अग्रिम उपकर संग्रहित नहीं किया गया, ₹ 14.43 लाख का अग्रिम उपकर संग्रहित किया गया परन्तु जमा नहीं कराया गया। 47 प्रकरणों में से, 6 प्रकरणों में ₹ 4.57 लाख का अग्रिम उपकर संग्रहित कर राजस्व मद में जमा कराया गया और एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्रम विभाग ने अधिनियम के दायरे में आने वाले स्थापनों की पहचान करने के उद्देश्य से लक्षित सर्वेक्षणों को करवाया जाना सुनिश्चित नहीं किया। वर्ष 2019-22 के दौरान, 1,74,000 सर्वेक्षणों के लक्ष्य के विपरीत राज्य स्तर पर केवल 60,590 (34.82 प्रतिशत) सर्वेक्षण किए गए थे। इसके अलावा, उपकर संग्रहण से संबंधित मुख्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें निर्धारण आदेश जारी किये जाने का अभाव और उपकर के निर्धारण हेतु निर्माण लागत की गणना के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित पद्धति का अभाव शामिल है।

उपकर की वसूली न होने और कम वसूली के प्रकरण प्रभावी उपकर संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा अपर्याप्त निगरानी की ओर संकेत करते हैं। उपकर नियमों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम उपकर डिमांड ड्राफ्ट के बजाय चेक के माध्यम से प्राप्त किया गया, जो कि अनादरित हो गए और परिणामस्वरूप ₹ 9.08 करोड़ का उपकर अप्राप्त रहा।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार के राजस्व मद में ₹ 2,002.43 करोड़ का उपकर संग्रहित किया गया था और ₹ 1,789 करोड़ का उपकर तीन से 22 महीने की देरी के साथ मण्डल को हस्तांतरित किया गया था।

अनुशंसा 3: श्रम विभाग को निर्माण लागत का निर्धारण करने के लिए व्यापक, मापनीय और सत्यापन योग्य मानदंडो को तैयार कर अंगीकरण करना चाहिए जिससे उपकर निर्धारण में एकरूपता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो सके।

अनुशंसा 4: श्रम विभाग को उपकर संग्रहण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारण आदेशों के अनुसार उपकर का समयबद्ध और सटीक संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत करना चाहिए।